



HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक 17.01.2023

06 अभियुक्तों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई:-

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा

रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा थाना राठ/सुमेरपुर/मौदहा/बिवार

के 06 गुण्डा अपराधियों को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निम्न अपराधी अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में

प्रवेश नहीं करेगा तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी दे।

जिला बदर किए गए अपराधियों का विवरण:-

1) सलमान पुत्र मुन्ना खान निवासी ग्राम पिपरौंदा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को

दिनांक 13.12.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।

2) इमरान पुत्र अब्दुल निवासी ग्राम छानी बुजुर्ग थाना बिवार जनपद हमीरपुर को दिनांक 13.12.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।

3) निजामुद्दीन पुत्र नईमुद्दीन निवासी ग्राम नारायच थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को

दिनांक 13.12.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।

4) शिवम गुप्ता पुत्र नंदकिशोर निवासी वार्ड नंबर 14 करबा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दिनांक 28.12.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।

5) पंकज विश्वकर्मा पुत्र महेश विश्वकर्मा निवासी पुरानी एसबीआई बैंक व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दिनांक 28.12.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।

6) प्रिंस उर्फ टाइगर पुत्र जय सिंह निवासी मोहल्ला फरसौलियाना थाना राठ जनपद हमीरपुर को दिनांक 30.12.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।